न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात
मुकदमा सं०–801/2022

सरकार बनाम कालीचरन।

<u>आरोप</u>

मैं राशि तोमर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात में आप अभियुक्त कालीचरन को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ–

यह कि दिनांक 21.04.2022 को समय रात्रि 8:00 बजे, घटना स्थल बहद ग्राम मुसराहीझोर थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा के साथ मारपीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 323 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा को गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 504 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 506 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आप अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

राशि तोमर
दिनांक 25.01.2023 सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात
ID NO.UP2540

उक्त आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवम समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवम परीक्षण की मांग की।

राशि तोमर
दिनांक 25.01.2023 सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात
ID NO.UP 2540